राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

कमाकःप.९(१५)राज-१/०९/पार्ट/५५

NV

3 D OCT 2009

जयपुर, दिनांक : 9-10-09

:- अधिसूचना -:

राजस्थान भू—राजरव अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागीर की तहसील जायल के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—4 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—5 के अनुसार होगाः—

	क.स.	तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम / जनसंख्या	प्रस्तावित नवीन राजस्य ग्राम का नाम/जनसंख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	दूरी (कि.मी. में)
1	1	2.	3	4.	5.	6.
	1.	जायल (तंवरा / 2509	ढाकासर / ३५०	223.24	2.0

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलेक्टर अभिलेखन संबंधी समस्त कार्य परिपन्न कमांक प.9(16)राज—1/07 दिनांक 3.10.07 के अनुसार निष्पादित कर राज्य सरकार को अवगत करायेगें।

आज्ञा से, (मूलचन्द्र मीणा) शासन उप सचिव

17 13/10l

THE ENTRY A &

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर

क्रमांक : प-9 ()मू.अ./सां./2009/870-81

दिनांक 24.2.10

-: आदेश :-

राजस्थान मू राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, 15) की घारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प. 9 (15) राज-1/2009 पार्ट /54 दिनांक 09.10.2009 के द्वारा जिले के निम्नांकित ग्राम सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प. 9 (15) राज-1/2009 पार्ट /54 दिनांक 09.10.2009 के द्वारा जिले के निम्नांकित ग्राम घोषित जो कॉलम 3 में अंकित है, के समीप के मजरे/हाणियों जो कॉलम 4 में अंकित है, को पृथक से नदीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। अतः मविष्य में इन मजरे/हाणियों को राजस्व गांव के रूप में माना तथा अमिलिखित किया जावेगा एवं इनका क्षेत्रफल वर्तमान गांव की कुल देह में से कम होकर कॉलम सं. 5 के अनुसार होगा :

क्र.सं.	तहसील	मूल राजस्व ग्राम का	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या	क्षेत्रफल (हे०में)	दूरी कि0मी0
		नाम/जनसंख्या	नान/ वासावन	5	6
1	2	3	4	000.04	2.0
1	जायल	तंवरा / 2509	, ः ढाकासर / 350	223.24	1 20

नवीन राजस्व ग्राम के गठन से प्रमावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्य ग्रामों के अमिलेखों के अलग—अलग संघारण हेतु उक्त अधिनियम की घारा 107 के अन्तर्गत अमिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी, जायल, को अधिकृत किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, जायल, अमिलेखन संबंधी समस्त कार्य परिपत्र क्रमांक : प.९ (16) राज.—1/07 दिनांक 03.10.2007 के अनुसार निष्पादित कर इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

जिला कलवटर (मू.स.) नागौर

दिनांक

क्रमांक : सम/ प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित हैं :

1. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विनाग, राजस्थान, जयपुर्।

2 निबन्धक (मू.अ.) राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।

3. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी, जायल।

5. प्रमारी अधिकारी,

- 6. विकास अधिकारी,, पं.स., जायल।
- 7. तहसीलदार, जायल।
- 8. डी.आई.ओ., नागौर।
- 9. जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, नागौर।
- 10. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर।
- 11. गार्ड फाईल।

प्रमारी अधिकारी (मू.अ.) कलक्ट्रेट नागौर

Scanned by CamScanner